File No- 77-3-3002(003)/6/2021-3
संख्या - 20 /2021/872/77-3-2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता के मद में उपलब्ध धनराशि में से रू0 20,16,43,836/- की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-22/यीपूडा/गंगा/लेखा, दिनांक 06.04.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-07 लेखा शीर्षक "2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 22-यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" में प्राविधानित धनराशि रू0 16362.00 लाख में से हुडको से लिये गये ऋण के सापेक्ष दिनांक 01.03.2021 से 31.05.2021 तक रू0 20,16,43,836/- मात्र के ब्याज की देयता आगणित की गई है। अत: चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से रू0 20,16,43,836/- (रूपये बीस करोड सोलह लाख तैतालीस हजार आठ सौ छत्तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।
(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0-3/2021/बी-1-1375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा इस संबंध में जारी शासनादेश सं0-2/2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/2002 दि0 10.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-7 लेखा शीर्षक "2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 22-यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग द्वारा दिनांक 27.04.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या- 20/2021/872(1)/77-3-21-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1.महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4.निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5.वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6.वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-1
7.गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।